

नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHITTORGARH/FIRENOC/2025-26/64186
जारी दिनांक: 03-FEB-2026 वैधता दिनांक: 02-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VIJAY SINGH OSTWAL
आवेदक का पता: NARAYANPURA TOLL PLAZA CHHPARI

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन U S OSTWAL INTERNATIONAL SCHOOL, 288/45, NARAYANPURA TOLL PLAZA, CHHPARI, CHITTORGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भवन/इकाई का हर वर्ष वार्षिक निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब एवं कानूनी कार्यवाही के लिए अधिभोगी स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. भवन/इकाई के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति-ज्वलनशील पदार्थ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
3. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान दिये गये दिना-निर्देशों का पालना करना अनिवार्य होगा।
4. पानी के टैंक हर समय फुल भरे रखने होंगे एवं पुरा फायर सिस्टम 24x7 कार्यशील स्थिति में रखना अनिवार्य होगा।
5. फायर सिस्टम को धलाने हेतु/आगजनी घटना से निपटने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित आवयकतानुसार रखने होंगे।
6. फायर वाहन आसानी से आ-जा सके इसके लिए पर्याप्त मार्ग खुला व अवरोध रहित रखना होगा।
7. संस्थान के कर्मिकों को वर्ष में दो बार फायर कन्सलटेंट से प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य होगा जिसकी रिपोर्ट अग्निशमन विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।
8. रोप लेडर/एक्सटेंशन लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना रेस्थू हेतु रखना अनिवार्य होगा।
9. यह अग्निशमन प्रमाण पत्र केवल अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वैध होगा अन्य किसी भी प्रकार के साक्ष्य हेतु मान्य नहीं होगा।
10. समस्त अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित समयावधि में रिफिल कराना एवं रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त फायर एन.ओ.सी. जारी दिनांक के बाद यदि आगजनी संबंधी कोई भी घटना घटित होती है तो अधिभोगी पर नियमानुसार शास्ति लगाकर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. आगजनी घटना के कारण किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो अधिभोगी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. बैसमेन्ट में कर्मचारी/मरीज/आमजन का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।
14. उपरोक्त वाणिज्यिक समस्त शर्तों का अधिभोगी द्वारा पालना नहीं करने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा, जिसकी समस्त विधिक कार्यवाही के लिए अधिभोगी स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. संस्थान/इकाई में किसी भी प्रकार की कोई भी आगजनी घटना या आग जनि घटना से कोई भी जनहानि होने पर सम्पूर्ण सूचना 24 घण्टे में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी घटना को छुपाने पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।




Principal

U.S. Ostwal International School
Udaipur Road, Toll Plaza, Mangalwad
Distt. Chittorgarh (Raj.)-312024

Signed by: Krishan Gopal Mali
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHITTORGARH, Rajasthan
Date: 03/02/2026 13:38:16

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौड़गढ़